



मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र. F.6-12/98/A-XI, दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

जावक क्रमांक 363-65
भोपाल, दिनांक 24/3/2021

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 1238 / 2020

आवेदक :-

मेसर्स शुभम इलेक्ट्रिकल्स,
सी. एच. - 6, जुनियर एल.आई.जी. एम.
आर. 10 रोड, सुखलिया, इन्दौर -
452010

विरुद्ध

अनावेदक :-

1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बदरवास, जिला- शिवपुरी -473551
2. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग. 6 नम्बर स्टॉप, शिवाजी नगर, भोपाल- 462001



माध्यस्थम आदेश दिनांक :- 24 मार्च 2021

काउंसिल के समक्ष आवेदक मेसर्स शुभम इलेक्ट्रिकल्स, इंदौर द्वारा एमएमएमई एक्ट 2006 की धारा 20 सहपठित धारा 30 के अधीन अनावेदक मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी के विरुद्ध मूलधन राशि रुपये 3,74,980/- एवं ब्याज राशि रुपये 90,999/- तथा कुल राशि 4,65,979/- की वसूली हेतु दावा आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2020 को प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी / 1238 / 2020 पर दर्ज किया गया।

2. काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 946-948, दिनांक 17.11.2020 को जारी किया गया
3. प्रकरण, सुनवाई दिनांक 06.02.2021 को काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
4. बैठक में काउंसिल को आवेदक मेसर्स शुभम इलेक्ट्रिकल्स, इंदौर ने अवगत कराया कि प्रकरण में पूर्ण भुगतान प्राप्त हो गया है। सुनवाई बैठक में उभयपक्षों की सहमति के आधार पर प्रकरण में समझौता आदेश पारित करने के लिए निर्णय लिया गया। आवेदक का प्रकरण सहमति के कारण समाप्त किया गया।



4-42



प्रकरण क्रमांक एमएसईएफसी / 1238 / 2020

-2-

4. अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम-9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उभयपक्षों के मध्य उपरोक्तानुसार समझौता होकर, प्रकरण निराकृत होने से, एतद् द्वारा प्रकरण समाप्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
उद्योग आयुक्त एवं
अध्यक्ष,

म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल।



(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक महाप्रबंधक,

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,

एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।